

पराली पैराडॉक्स (विडंबना)



श्रीमती रजनी शालीन चोपड़ा, कार्यकारी
संपादक, एग्रीकल्चर वर्ल्ड

तीन प्रमुख कृषि बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का केंद्र पंजाब था। पंजाब के किसानों ने कहा कि उन्होंने हरित क्रांति के बाद से देश का पेट भरा है, और मांग की कि कृषि कानूनों के विरोध में देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए।

महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों के प्रमुख किसान संघों ने कृषि सुधारों का स्वागत किया था। किसानों के साथ खड़े होने के लिए देश चुपचाप विरोध प्रदर्शन देखता रहा।

जय जवान जय किसान के नारे को भारतीय गंभीरता से लेते हैं। जवान और किसान के प्रति स्वाभाविक सम्मान है। लेकिन कृतज्ञता या अच्छाई लंबे समय तक एकतरफा मार्ग नहीं बनी रहती है। जब हमारे बुजुर्ग कहते हैं दुनिया गोल है, तो वे हमें इस ब्रह्मांड के प्रमुख नियमों में से एक के बारे में बता रहे होते हैं 'जैसा बोओगे, वैसा काटोगे।'

किसानों ने हमारा आभार और सम्मान अर्जित किया है क्योंकि वे हमारी थाली में भोजन पहुंचाने के लिए प्रकृति की अनिश्चितताओं का सामना करते हैं।

लेकिन पंजाब के किसान उत्तर भारत में धान के अवशेष, जिसे पराली कहा जाता है, को जलाना जारी रखकर लोगों के बीच इस अपार सद्भावना और विश्वास को समाप्तप्राय कर रहे हैं। यही वह समय है जब पंजाब में पराली जलाने की शुरुआत होती है।

किसानों का दावा है कि वे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि सरकार उन्हें समाधान नहीं देती है और उन्हें संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है।

यह तर्क अब लोगों को आश्वस्त नहीं करता। पराली जलाने पर काफी शोर मचा है और यह जायज भी है। जलते हुए खेतों से उठने वाला धुआं अंततः एन.सी.आर. क्षेत्र में हवा में जमा हो जाता है, जिससे हर सर्दियों में गैस-चैबर जैसी स्थिति बन जाती है।

पराली जलाने से निपटने के लिए हैप्पी सीडर के उपयोग सहित व्यावहारिक इन-सीटू ऑपरेशन मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कई प्रगतिशील किसानों ने हैप्पी सीडर का उपयोग करके पराली को वापस मिट्टी में मिला दिया है और आगामी फसलों के स्वास्थ्य के प्रति हर्षित हैं।

सितंबर 2020 में मार्कफेड और पी.एच.डी.सी. सी.आई. द्वारा आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पटियाला के एक प्रगतिशील किसान ने कहा था कि किसान पराली जलाने पर जोर देते हैं क्योंकि वे अपने तय विचारों से हटना नहीं चाहते हैं। उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें कृषि संघों का नेतृत्व करने वाले कुछ व्यक्तियों ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर किया।

पंजाब में पराली जलाने का मामला चरम बिंदु से आगे बढ़ गया है। लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जब स्वास्थ्य और पर्यावरण की लागत इतनी अधिक है तो किसान इस प्रथा को क्यों जारी रखते हैं।

कोविड काल में स्थिति और भी गंभीर थी। यदि पंजाब के किसान धान के अवशेष जलाने की कुप्रथा जारी रखते हैं और दिल्ली की तुलना फिर से गैस चैबर से की जाती है, तो किसानों को इसके लिए जवाब देना होगा।